16/05/24 प्रभावती खान प्रार्थीगण मय वकील के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु तय है। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद विहीन किया जा चुका है, अतः आवेदक के आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा, आवेदक के आगे भी कार्यवाही करने स्तर पर समाप्त मानकर आवेदन नामंजूर किया जाता है। उभयपक्ष प्रमाणक शुल्क वापस किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:31:43 IST
Reason: SelfAttested

बरकत

शमीम

रमाम